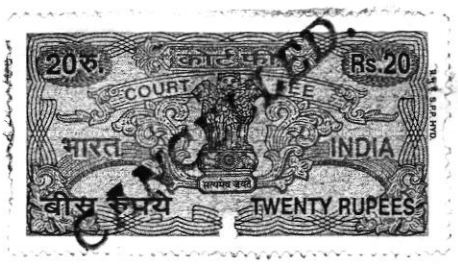

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

R4203-I/14

B.O.R.

17 NOV 2014

श्री ... कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

158
02-12-14

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल बोर्ड, ग्वालियर, कैम्प सागर म0प्र0

रामकिशोर शर्मा तनय श्री मोहन शर्मा

निवासी- ग्राम रिछारा, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर म0प्र0

.... निगरानीकर्ता./ आवेदक.

// बनाम //

सरजू तनय कन्हैयालाल बाढ़ई

निवासी- ग्राम रिछारा, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर म0प्र0

शासन मध्य प्रदेश ...... उत्तरवादीगण./ अनावेदकगण.

निगरानी/पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू-रा0 संहिता.

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डल भगवां, तहसील घुवारा

जिला छतरपुर के रा0 प्र0 क्र0- 04/अ-3/वर्ष 2013- 2014 में

पारित आदेश दिनांक- 30.9.2014 से परिवेदित होकर.

महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता निम्न विनय प्रस्तुत कर निम्न तथ्यों वा आधारों पर श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करता है कि :-

॥ निगरानी के तथ्य ॥

यह कि, मौजा रिछारा, पटवारी ह0 नं0- 34, तहसील घुवारा रा0 नि0 मण्डल भगवां, जिला छतरपुर में स्थित खसरा नंबर- 55 जिसका रकवा काफी बड़ा है तथा उक्त खसरा नंबर में निगरानीकर्ता सहित अन्य खातेदार भी उक्त भूमि पर काबिज होकर अपने अपने कब्जे व हिस्से अनुसार काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। अनावेदक के द्वारा खसरा नंबर- 55/2 के रकवा 0.607हे0 भूमि के नक्शा में तरमीम करवाने के लिए ... साथ दिया था। अनावेदक

रामकिशोर विरूद्ध सरजू

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(11)

प्रकरण कमांक निग. –एक/14 जिला – सागर

ान तथा नांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–12–14 सागर कैंप	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश रजक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2– प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । इस प्रकरण में तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा तरमीम पर प्रस्तुत की गई आपत्ति को निरस्त किए जाने के कोई आधार नहीं दिये गये हैं और यह कहकर कि आपत्तिकर्ता की आपत्ति का कोई उचित आधार नहीं है, आपत्ति निरस्त की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः यह प्रकरण उन्हें इसी स्तर पर पर प्रकरण वापिस किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर बोलता हुआ आदेश पारित करें और तदुपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	